

5/1

सूचक

श्री हरीचंद्र मिश्र,
विश्व हिन्दू परिषद,
उत्तर प्रदेश शासन ।

मेरा में,

तमिः,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विश्व हिन्दू-2 कनका रोड,
पुणे विद्यापीठ, नवी दिल्ली ।

दिनांक 17 अक्टूबर

महाराज दिवस 15 मई, 2000

विषय:- उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा, मध्या, वाराणसी को सीवीओएसओ में
दिल्ली के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान का दिनांक ।

महोदय,

उपर्युक्त दिनांक पर मुझे पत्र कक्षों का निदेश प्राप्त है कि उत्तर प्रदेश
सरकार द्वारा, मध्या, वाराणसी को सीवीओएसओ में दिल्ली के सम्बन्ध
में अनुमति प्रदान का दिनांक में एक राज्य सरकार को निम्नलिखित
शर्तों के अन्तर्गत अनुमति दी है:-

111. शिक्षा की परीक्षा योजनाओं का तय कराने पर सीवीओएसओ द्वारा
कार्रवाई ।
121. शिक्षा की प्रमुख शक्तियों में शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई पर सहाय
होना ।
131. शिक्षा में जो भी नया प्रस्ताव तय कर लिया जाय उसे शिक्षा/अनुमति
संस्था के अधिकारियों के द्वारा तैयार किया जाये और उसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक
शिक्षा परिषद द्वारा विश्व हिन्दू विश्वविद्यालयों में विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों
के अर्थों में प्रेषित किया जाये ।
141. शिक्षा द्वारा राज्य सरकार के किसी प्रस्ताव की शर्तों को आगे बढ़ाने
और यदि पूर्व में शिक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा शिक्षा
विभाग द्वारा अनुमति प्रदान के साथ शिक्षा को सम्बन्धित केन्द्रीय
माध्यमिक शिक्षा परिषद/विश्व हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित किये गये
कार्यक्रमों को शिक्षा के द्वारा प्रेषित है तो उन परीक्षा पर ही उत्तर
प्रदेश सरकार द्वारा अनुमति प्रदान होने की शर्तों के अन्तर्गत
माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान अनुमति का राज्य सरकार के
द्वारा प्रदान करना सम्भव हो जायेगा ।
151. शिक्षा विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा
शिक्षा विभागों के अधिकारियों को अनुमति प्रदान करने का तय कराने
में ही सम्बन्धित तय कराने वाली दिनांक ।

Dr. Mishra
PRINCIPAL
INTERNATIONAL HINDU SCHOOL
VARANASI.

... 2/-

- 161 कर्मचारियों की सेवा रातें बनाई जायेंगी और उन्हें महापता प्राप्त जागतिकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूची सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लो भी आदेश निर्मित किये जायेंगे तबना उन्ना पालन करेगी।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड कि रिकार्ड पुस्तक/पंजीकरणों में रखा जायेगा
- 191 उक्त बातों में राज्य सरकार के पूर्वाज्ञोदन के बिना कोई परिण /संशोधन या परिवर्तन न हो सिया जायेगा।

2- उक्त प्रतिक्रियाओं का पालन करना सरकार के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह सत्यापित होता है कि सरकार द्वारा उक्त प्रतिक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है उन्ना पालन करने में किसी प्रकार की पूर्ण या आंशिकता प्रतीति जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उक्त उपायों का प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भारतीय,

1 तदनुसृत नियम 8
विशेष नियम

पू.सं-12011/15-7-2000, तदनुसृत

प्रतिभाषित नियमों के अन्तर्गत एवं आरक्षण कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर।
- 2- मध्यम श्रेणी शिक्षा विभाग, वाराणसी।
- 3- शिक्षा विभाग, मिर्जापुर, वाराणसी।
- 4- मिर्जापुर, भारत भारतीय विद्यालय, 3030, गोरखपुर।
- 5- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश विद्युत सप्लाई, गोरखपुर, वाराणसी।

आज्ञा है,

Mishra
 PRINCIPAL
 INTERNATIONAL HINDU SCHOOL
 VARANASI.